

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 18, गुरुवार, शाके 1948- जुलाई 09, 2026 Asadha 18, Thursday, Saka 1948- July 09, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 19, 2026

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-14/2026/डी- 997 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की धारा में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते जयपुर मास्टर विकास योजना-2025 जयपुर विकास प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011 के द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक 06.09.2011 से लागू किया गया है तथा जोनल विकास योजना-08 जयपुर विकास प्राधिकरण की 64वीं बैठक दिनांक 22.05.2018 के द्वारा लागू किया गया है।

जोनल विकास योजना-08 में ग्राम गोनेर के खसरा नम्बर 3383 तथा पास के ग्राम जगन्नाथपुरा एवं सालिगरामपुरा के आस-पास राजस्व रिकॉर्ड में अंकित ग्रास फार्म की भूमि जो कि मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना-08 में उक्त भूमि सेन्ट्रल पार्क के भू-उपयोग में दर्शित है। मास्टर विकास योजना 2025 में उक्त भू-भाग में केवल 30 मीटर व 60 मीटर सड़क ही दर्शित है, परंतु जोनल विकास योजना में प्रश्नगत भूमि में अन्य निम्न श्रेणी की सड़कें भी प्रस्तावित की गई हैं।

जविप्रा भवन मानचित्र समिति (एलपी) की 318वीं बैठक दिनांक 10.06.2022 को लिये गये निर्णय अनुसार “ग्रास फार्म की भूमि के मध्य एवं मास्टर विकास योजना में प्रस्तावित सेन्ट्रल पार्क की भूमि के मध्य उदत सड़कों का निर्माण होना उचित प्रतीत नहीं होता है। जोनल विकास योजना में ग्रास फार्म की भूमि पर मास्टर विकास योजना में प्रस्तावित सड़कों को कायम रखते हुये शेष जोनल विकास योजना की सड़कों को विलोपित करते हुये ग्रास फार्म की भूमि के पूर्वी भाग में उक्त विलोपन के क्रम में 18 मीटर सड़को को ग्रास फार्म की सीमा पर/ सहारे-सहारे 18.00 मीटर सड़क प्रस्तावित करते हुये उक्त सड़कों को मिलाये जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त 18.00 मीटर सड़कों एवं नवीन प्रस्तावित 18.00 मीटर सड़कों के मध्य मास्टर विकास योजना में सेन्ट्रल पार्क दर्शित भूमि को आस पास के क्षेत्र अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भू-उपयोग के अंतर्गत दर्शाया जावे। उक्त के अतिरिक्त खसरा संख्या 3383 जो कि संपूर्ण ग्रास फार्म के दक्षिण में स्थित है किन्तु दो ग्रास फार्म की भूमि के मध्य आ रही है, पर गुजर रही जोनलविकास योजना की सड़क का अलाईमेंट को मास्टर विकास योजना के अनुसार कायम किया जावे।”

बीपीसी एलपी की 318वीं बैठक दिनांक 10.06.2022 की पालना में जोनल विकास योजना प्लान-08 की उपरोक्त वर्णित सड़कों के विलोपन/संशोधन हेतु दिनांक 22.07.2022 को आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे एवं निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये है। प्रकरण को पुनः बीपीसी-एलपी की 324वीं बैठक दिनांक 15.09.2022 में रखा जाकर जोन-14 के

क्षेत्राधिकार में जोनल विकास योजना प्लान-08 की उपरोक्त वर्णित सड़कों के विलोपन/संशोधन का सैद्धान्तिक अनुमोदन करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा से अनुमोदन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा द्वारा अनुमोदन दिनांक 13.12.2022 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा एवं मंत्री, नगरीय विकास विभाग से जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत पुनः दिनांक 15-05-2026 को अनुमोदन प्राप्त होने पर, जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 25(4) के अन्तर्गत नियमानुसार जोनल विकास योजना प्लान-08 में निर्धारित उपरोक्त वर्णित सड़कों के विलोपन/संशोधन अधिसूचित किये जाते हैं।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 19-06-2026 को जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति राज्य के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात एवं राजस्थान राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

गौरव सैनी,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।